पीठासीन अधिकारी: [illegible]

प्रकरण संख्या: 26/2016

**उनवान**

(1) जगदीश पिता महादेव जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

**बनाम**

(1) दिपक पिता मनोहर जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) विपुल पिता मनोहर जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) श्रीमती उषा पत्नि स्व0 श्री मनोहर जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) कपिल पिता महेश जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(5) तेजल पुत्री महेश जानी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(6) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांकः 30/5/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व मौजा पालोदा पटवार हल्का पालोदा की खाता संख्या 818 (नई) 719 (पुरानी) के कुल किता 13 रकबा 1. 24 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। तथा वादी अपने हिस्से के भूमि का बटवारा कर अपने खेतो में अधिक उत्पादन प्राप्त करने एंव आधुनिक तरीके से खेतो का सुधार करना चाहता हैं। इस हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किय गया परन्तु प्रतिवादीगण बटवारा करने को राजी नही हुऐ। इसलिये वादी की ओर स प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 53, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

दौराने कार्यवाही पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर–पालोदा पर पेश होने प प्रकरण में पक्षकारान् के निहित हिस्से के अनुसार बटवारा करने का निर्णय पारित किय जाकर निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी द्वारा नीचे वर्णित अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किय गयाः—

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | पटवार हल्का | खातेदार का नाम | सर्वे नम्बर | रकबा (हे0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | पालोदा | पालोदा | दिपक कुमार, विपुल कुमार पिता मनोहरलाल, श्रीमती उषा पत्नि स्व0 श्री मनोहरलाल ब्राह्मण | 108 | 0.02 |
| | | | | 124 | 0.11 |
| | | | | 125 | 0.10 |
| | | | | 126 | 0.07 |
| | | | | 376 | 0.06 |
| | | | | 377 | 0.06 |
| | | | योगः— | **06** | **0.42** |
| 02. | पालोदा | पालोदा | जगदीशचन्द्र पिता महादेव ब्राह्मण | 122 | 0.04 |
| | | | | 423 | 0.12 |
| | | | | 2105 | 0.10 |
| | | | | 2200 | 0.05 |
| | | | | 2272 | 0.10 |

अतः प्रकरण में तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार नीचे व
खातेदारान् को उनके नाम के सम्मुख अंकित सर्वे नम्बर/रकबा का खाता विभाजन कर द
करने का निर्णय पारित किया जाता है:—

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | पटवार हल्का | खातेदार का नाम | सर्वे नम्बर | रकबा (हे |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | पालोदा | पालोदा | दिपक कुमार, विपुल कुमार पिता मनोहरलाल, श्रीमती उषा पत्नि स्व0 श्री मनोहरलाल ब्राह्मण | 108 | 0.02 |
| | | | | 124 | 0.11 |
| | | | | 125 | 0.10 |
| | | | | 126 | 0.07 |
| | | | | 376 | 0.06 |
| | | | | 377 | 0.06 |
| | | | योगः— | **06** | **0.42** |
| 02. | पालोदा | पालोदा | जगदीशचन्द्र पिता महादेव ब्राह्मण | 122 | 0.04 |
| | | | | 423 | 0.12 |
| | | | | 2105 | 0.10 |
| | | | | 2200 | 0.05 |
| | | | | 2272 | 0.10 |
| | | | योगः— | **05** | **0.41** |
| 03. | पालोदा | पलोदा | कपिल, तेजल पिता महेश ब्राह्मण | 121 | 0.22 |
| | | | | 409 | 0.19 |
| | | | योगः— | 02 | 0.41 |

(रामचन्द्र खटी
उपखण्ड अधिक
गढ़ी
उपखण्ड अधिक
गढ़ी, जिला बांस

## आदेश

तहसीलदार, गढ़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार नीचे वर्णित खातेदारान् का ख
विभाजित कर पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075
खाता संख्या 884 (नई) 818 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अं
अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की पृथक से अन्तिम डिक्री जारी
निर्णय व डिक्री की छाया प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिक
गढ़ी
उपखण्ड अधिक
गढ़ी, जिला बांस